प्रेस नोट

थाना खेकडा दिनाँक 19.11.26

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु.अ.सं. 407/26 धारा 333/65(2) BNS व 5M/6 पोक्सो अधिनियम में वाछिंत एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.सं. 407/26 धारा 333/65(2) BNS व 5M/6 पोक्सो अधिनियम में वाछिंत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता-

अभिषेक उर्फ अक्षय पुत्र स्व0 रामभूल मूल निवासी ग्राम सलावतपुर खेडी थाना खेकडा जनपद बागपत हाल निवासी मौहल्ला कमला नगर कस्बा खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.निरीक्षक श्री ओमप्रकाश आर्य थाना खेकडा बागपत
2.व0उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकडा बागपत
3.है0का0 354 निलेश कुमार थाना खेकडा बागपत
4.का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा बागपत
5. का0 724 कुशलपाल थाना खेकडा बागपत



प्रेसनोट जनपद बागपत दिनांक 19-11-2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में पिछले 24 घंटे के दौरान वांछित/चोरों एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत बागपत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है-

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल 01 अभियुक्त)-

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु.अ.सं. 407/26 धारा 333/65(2) BNS व 5M/6 पोक्सो अधिनियम में वाछिंत एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी(कुल- 03)

1-थाना छपरौली -01
2-थाना बिनौली -01
3- थाना बडौत -01

धारा 170 बीएनएसएस की कार्यवाही-(कुल 28 व्यक्ति)

1-थाना कोतवाली बागपत से 04 व्यक्ति।
2-थाना सिंघावली अहीर से 02 व्यक्ति।
3-थाना खेकड़ा से 02 व्यक्ति।
4-थाना चांदीनगर से 03 व्यक्ति।
5-थाना बालैनी से 05 व्यक्ति।
6-थाना बडौत से 07 व्यक्ति।
7-थाना दोघट से 04 व्यक्ति।
8-थाना रमाला से 01 व्यक्ति।